(7) शक्ति की मितव्ययता (Economy of Force):- निःसन्देह शक्ति की मितव्ययता युद्ध का प्रमुख सिद्धान्त है क्योंकि उसके सही उपयोग द्वारा विजेता केवल युद्ध को ही नहीं जीतता वरन् स्थाई शान्ति को भी प्राप्त करता है। कम से कम सैनिक शक्ति का प्रयोग कर शत्रु को अधिकाधिक क्षति पहुँचाना ही इस सिद्धान्त का प्रमुख उद्देश्य है किन्तु शक्ति की मितव्ययता का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि कम से कम सैनिकों की संख्या प्रयोग करें तथा अधिक से अधिक सेना को दूसरे स्थान पर दूसरी परिस्थितियों के लिए रोका रखा जाय। 'नैपोलियन' ने ठीक कहा है कि - "जो जनरल नयी टुकड़ियों को संग्राम के बाद के लिए रोक रखता है, वह प्रायः हारता ही है।" वास्तव में हमें अपनी शक्ति का इस प्रकार से वितरण करना चाहिए की कम से कम सैन्य शक्ति खर्च करके हम अधिकाधिक लाभ उठा सकें। और इसलिए सेनाओं को सही ढंग से वितरित करने की कला को युद्ध की एक महान कला कहा जाता है। जैसा कि नैपोलियन ने लिखा है कि - "सेनाओं को सही ढंग से वितरित करना युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।"

शक्ति की मितव्ययता केन्द्रीकरण के सिद्धान्त से सम्बन्धित होती है, क्योंकि सेना के मितव्ययता के लिए एक स्थान पर अपनी शक्ति को केन्द्रित करना आवश्यक सा हो जाता है। लिडिल हार्ट के अनुसार, "किसी भी सेना का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके सभी अंग एक दूसरे की सहायता कर सकें और साथ ही साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण इकाई का भी निर्माण कर सकें तथा उनको एक स्थान पर केन्द्रित किया जा सके।"

इस प्रकार शक्ति की मितव्ययता को तीन विधियों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है -

1. सैन्य टुकड़ियों की संख्या न्यूनतम रखकर।
2. इन टुकड़ियों की मदद से जहाँ तक सम्भव हो शत्रु की अधिकतम संख्या को रोकना।
3. अन्य सैन्य टुकड़ियों की सहायता से जहाँ पर शत्रु एकत्रित हो, उसको तितर-बितर करने के लिए विवश करना।

इस सिद्धान्त को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है -

उदाहरण- (1) केन्द्रीकरण के सिद्धान्त में दिये गये लगभग सभी उदाहरणों में शक्ति की मितव्ययता के सिद्धान्त का पुट मिलता है क्योंकि केन्द्रीकरण करना है तो उस स्थान को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मितव्ययता अपनानी अनिवार्य हो जाती है।

(2) 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से लगती हुई राजस्थान और पंजाब की सीमा में कुछ स्थानों पर शक्ति की मितव्ययता के सिद्धान्त का पालन किया था क्योंकि भारत का उद्देश्य बांग्लादेश की सीमा पर निर्णयात्मक कार्यवाही कर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था।

(8) सहयोग (Co-opration):- विजय विभिन्न प्रकार की सेनाओं के आपसी सहयोग से ही प्राप्त की जा सकती है। पैदल सेना, तोपखाना, टैंक तथा वायु सेना को यदि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त न हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि 'श्यामलाल मुखर्जी' ने लिखा है कि - "जिस प्रकार कोई बाक्सर (मुक्केबाज) अपने हाथों, पैरों तथा आँखों का एक साथ प्रयोग करके अपने विपक्षी को परास्त करता है, उसी प्रकार सेनाऐं भी तभी सफल हो सकती हैं जबकि इसके सभी अंग एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।" युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार की सेनाओं का आपस में पूर्ण सहयोग हो तथा प्रत्येक सेना के विभिन्न अंग इस प्रकार से सम्बन्धित हो कि सेना अधिक से अधिक गतिशील रहे। आज इस सिद्धान्त का महत्व बहुत

आधिक बढ़ गया है क्योंकि आधुनिक युद्ध पूर्ण युद्ध है। अतः युद्ध को केवल सैनिक युद्ध तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। आज युद्ध आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा औद्योगिक सभी प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार के युद्धों में विजय के लिए सेनाओं को जनमत का सहयोग भी आवश्यक है। इसलिए आधुनिक युद्ध सेना, अस्त्र-शस्त्र और जनता के परस्पर सहयोग के उपर निर्भर करता है। तीनो प्रकार की सेनाओं (जल, थल, नभ) में सफलता प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग अति-आवश्यक है, क्योंकि वायु सेना तभी सफल हो सकती है जब उसके पास सुरक्षित ~~हव~~ हवाई आधार (Air base) हो। इस Air base की सुरक्षा थल सेना ही कर सकती है। इस प्रकार वायु सेना तथा थल सेना एक दूसरे पर निर्भर है। इसी प्रकार जल सेना को भी वायु सेना तथा थल सेना का निकट का सहयोग जब तक नहीं प्राप्त होगा, तब तक युद्ध मे विजय प्राप्त करना असम्भव है। इस प्रकार के सहयोग के लिए कुछ उपायों को अपनाया जाना चाहिए जैसे कि –

1- प्रत्येक प्रकार की सेना को अन्य दूसरी सेनाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है।

2- तीनो प्रकार की सेनाओं को एक ही आधिकारी के नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसा कि भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर ~~'सम्राट'~~ 'राष्ट्रपति' होता है।

3- तीनो सेनाओं का हेडक्वार्टर भी पास-पास ही होना चाहिए।

4- तीनों सेनाओ का प्रारम्भिक प्रशिक्षण भी एक ही स्थान पर होना चाहिए। जैसे – कि भारत में खड़गवासला में ऐसी व्यवस्था की गयी है। ऐसा होने से तीनो ~~सेनाए~~ सेनाओं में प्रारम्भिक सहयोग स्थापित हो जाता है।

उदाहरण - 1- भारत-पाक युद्ध 1971 में भारतीय सेना के तीनो अंगों अर्थात् (जल, स्थल, नभ सेना में परस्पर जो निकटतम सहयोग रहा, उसी का परिणाम था कि भारत को महान विजय प्राप्त हुई।

2- भारतीय इतिहास की अनेक लड़ाइयाँ सहयोग के अभाव में हारी गयी। यदि झेलम के संग्राम मे आम्भि, पोरस का सहयोग करता तथा तराइन के द्वितीय संग्राम में यदि जयचन्द, पृथ्वीराज का सहयोग करता और यदि हल्दीघाटी के संग्राम में राजा मानसिंह भारतीय होने के नाते महाराणा प्रताप का सहयोग करता तो इन युद्धों में भारतीय राजाओं को पराजय का मुँह नहीं देखना पड़ता।

9- गतिशीलता एवं लचक (Mobility and Flexibility) :- युद्ध में गतिशीलता का अर्थ होता है कि सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से ले जाना। आधुनिक युद्धों में जबकि सैनिकों को काफी साज-सामान लेकर चलना पड़ता है, गतिशीलता का महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिक भारी सामान सेना की गतिशीलता को कम करता है। आधुनिक सेनाओं द्वारा अपनाया जाने वाला ऊँचा जीवन स्तर उनकी गतिशीलता ~~कम करता है~~ में बाधक होता है। यान्त्रिकरण से केवल आंशिक रूप से गतिशीलता बनाये रखने के लिए भारी साज-सामान में कटौती करनी पड़ेगी। युद्धों में सदैव से ही गतिशीलता का महत्व रहा है। विजय उसी पक्ष की होती है, जिसकी गतिशीलता अधिक होती है। 'नैपोलियन' की सफलता का आधार उसकी सेना की गतिशीलता ही थी। गतिशीलता के कारण ही जर्मनी तथा जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भिक चरणों में विजय प्राप्त की। गतिशीलता का तात्पर्य केवल गति से नहीं वरन् इसके कुछ अन्य तत्व भी है जो इस सिद्धान्त को नियंत्रित करते है, जो निम्नलिखित है —

1- लचक :- युद्ध मे गतिशीलता बनाए रखने के लिए लचक का महत्वपूर्ण स्थान है। लचक का अर्थ यह होता है कि सेना अपने संगठन तथा योजना में परिस्थितियों के अनुसार शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन कर सकें। सेना को योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उस योजना को छोड़कर नयी योजनानुसार कार्य कर सकें। ऐसी परिस्थितियां युद्ध में हमेशा आती रहती हैं।

2- **चाल की रफ्तार** :- चाल की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकती है।
(i) सेना का यन्त्रीकरण और मोटर युक्त करके।
(ii) सेनाओं के साज-सामान कम करके।

3- **प्रशासन** :- सेना की गतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी गति से और कहाँ तक सैनिक टुकड़ियों को साज-सामान, हथियार, भोजन सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामानों की पूर्ति की जाती है। इसके लिए आवागमन और सम्वाद वाहन विकसित और उन्नत अवस्था में होना चाहिए। सेना की गतिशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसको किस स्तर पर कवायद और ड्रिल प्रशिक्षण दिया गया है। युद्ध में गतिशीलता के महत्व को स्पष्ट करते हुए नेपोलियन ने कहा है कि-"यह सम्भव है कि मैं भविष्य में कोई युद्ध हार जाऊं, लेकिन यह कभी नहीं होगा कि मैं एक भी मिनट समय को बर्बाद करूँ?"

<u>उदाहरण</u> (1) - प्राचीन भारतीय संग्रामों में गतिशीलता के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें विजय का कारण गतिशीलता रही है। झेलम, तराइन का दूसरा संग्राम, पानीपत का प्रथम संग्राम इसके प्रमाण हैं। इन संग्रामों में आक्रमणकारियों जैसे – सिकन्दर, मुहम्मद गौरी और बाबर की अश्वारोही सेना भारतीय सेना की तुलना में पर्याप्त गतिशील थी, फलतः उन्हें विजय मिली।

2- भारत-पाक युद्ध 1971 में भारतीय सेना/सेनाएँ के भारतीय अवरोधों की चिन्ता किये बगैर ढाका की ओर तेज गति से आगे बढ़ती रही और चौदह दिन के अन्दर ही बांग्लादेश को स्वतंत्र कराकर सैन्य गतिशीलता की श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी।

10- **प्रशासन** (Administration) :- नेपोलियन ने लिखा है कि "सेना पेट के बल चलती है।" (Army Marches on its stomach) प्रशासन युद्ध का अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। किसी सेना को अगर विजय प्राप्त करनी है तो उसका प्रशासन उच्चकोटि का होना चाहिए। उसको रसद किस प्रकार से मिल रही है, उसे हथियार तथा साज-सामान समय पर पहुंच रहा है या नहीं। सैनिकों के लिए चिकित्सा तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की कैसी व्यवस्था है। नेपोलियन का यह कहना कि सेना पेट के बल चलती है बिल्कुल सत्य है क्योंकि कोई भी सेना भूखी रहकर नहीं लड़ सकती है। अनाज तथा अन्य सामग्री होने के बावजूद अगर प्रशासनिक व्यवस्था खराब है तो वह सैनिक सामग्री सेना के पास उचित समय पर नहीं पहुंच सकती, जिसका प्रभाव लड़ने की क्षमता पर पड़ता है। इसी प्रकार अन्य साधनों की पूर्ति व्यवस्था भी इसी प्रशासन पर निर्भर है। अतः यह कहना गलत नहीं है कि युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए कुशल प्रशासन का होना अतिआवश्यक है। प्रसिद्ध विद्वान 'सुकरात' का कहना था कि-"जनरल को ज्ञात होना चाहिए कि सैनिकों को खाद्य सामग्री तथा अन्य प्रकार के आवश्यक सामान किस प्रकार उपलब्ध कराये जाय।"

स्पष्ट है कि अगर किसी सेना के पास उचित प्रबन्धात्मक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं तो वह युद्ध क्षेत्र में कुशलता से कभी नहीं लड़ सकती है। जनरल 'वेवल' ने प्रशासन के सिद्धान्त के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि-"लड़ाई बहुत सीमा तक प्रबन्ध और यातायात पर निर्भर करती है।" प्रशासन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि सेनाओं को गोला, बारुद और दूसरी सैन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में और उचित समय पर मिलती रहे, बल्कि इसमें यह भी सम्मिलित रहता है कि सैनिकों के उपचार, टूट-फूट की मरम्मत आदि की भी समुचित व्यवस्था हो।

<u>उदाहरण</u>-(1) भारत-चीन युद्ध 1962 में भारतीय सेना की पराजय का मुख्य कारण प्रशासनिक अव्यवस्था थी। यातायात के साधनों की कमी के कारणों से सैनिकों को सामान उचित समय पर उचित जगह पर नहीं पहुँचाया जा सका। अपनी बिमारी के कारण जनरल 'कौल' दिल्ली चले गये, जिससे भारतीय सेना को उचित निर्देशन भी नहीं मिल सका।

2- 1971 के भारत-पाक युद्ध में प्रशासन की कुशल व्यवस्था के कारण मात्र 14 दिनों में भारत को विजय प्राप्त हुई।